

(b) Information is given in the statement. Laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-588/69].

(c) the goods handling contract at Shalimar has not been awarded recently but is held by the existing contractor from 10. 7. 68. Apart from the handling contract for Shalimar, he holds one more handling contract for the Itwari group of stations consisting of Itwari, Bhandara Road, Tumsar Road, Tirora and Kamptee on South Eastern Railway. Information of contracts held by this party on other Railways is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

(d) Information is given in the Statement laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-588/69].

(e) the monthly valuation of the parcels and 'Quick Transit Service' handling contract at Howrah is Rs. 17424.32P. Shalimar station is not open for parcels traffic. The average monthly payment made to the contractor for handling Q. T. S. traffic at this station is Rs. 5860.20P.

Licence for a Carbon Plant at Haldia

5053. SHRI K. P. SINGH DEO : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the West Bengal Government have recommended to the Central Government an application for licence to an Indian firm for setting up a carbon plant at Haldia with foreign collaboration;

(b) if so, the name of the firm concerned; and

(c) the reactions of Government in regard thereto ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED) : (a) to (c) . No, Sir. However, there was a proposal from M/s. India Carbon Ltd. for setting up a plant for the manu-

facture of Cathode Blocks at Haldia, West Bengal. The firms were advised in August, 1968 to submit their proposals for import of capital goods and no proposals have been received so far.

12.28 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Announcement by Agricultural Prices Commission Re : Procurement of Wheat

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री (बागपत) :
प्रप्यक्ष महोदय, मैं प्रविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर माननीय खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री का ध्यान दिलाना चाहता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि वे इस सम्बन्ध में अपना वक्तव्य दें—

“गत वर्ष की तुलना में गेहूँ की अधिक मात्रा में अधिक वसूली करने और उस का मूल्य कम निश्चित करने के बारे में कृषि मूल्य आयोग द्वारा की गई घोषणा।”

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE) : The Report of the Agricultural Prices Commission on price policy for rabi foodgrains for the 1969-70 marketing season will be discussed in a Conference of Chief Ministers of Rabi States which will be held on 3rd April, 1969 at New Delhi. The Government would formulate its policy for rabi marketing season only in the light of the discussions at the Chief Minister's Conference.

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : श्रीमन्, पिछले वर्षों की प्रपंक्षा खाद्य, मजदूरी, और बिजली आदि के रेट बढ़ने के कारण किसानों की उपज की लागत बढ़ गई है। इसके साथ ही किसान को जो कुछ बाजार से खरीदना पड़ता है, उन के मूल्य भी निरन्तर बढ़ रहे हैं। इन के मुका-

[श्री रघुबीर सिंह शास्त्री]

बले किसान की उपज का मूल्य 40-50 प्रतिशत तक गिरा है और कृषि मूल्य आयोग ने भी जो मूल्य घोषित किये हैं, उन में गतवर्ष की अपेक्षा 9 प्रतिशत मूल्य में कमी की गई है। ऐसी अवस्था में क्या हम आशा कर सकते हैं कि किसान उपज बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित होगा। आपने कहा है कि मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में इस विषय पर विचार होगा। यह ठीक है कि गत वर्ष भी कृषि मूल्य आयोग ने मूल्य कम नियत किये थे तथा मुख्य मन्त्रियों के विरोध पर वे मूल्य बढ़ाये गये। इस बार भी हरियाणा के मुख्य मन्त्री ने उन मूल्यों का विरोध किया है। मैं जानना चाहता हूँ कि मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में क्या कृषि मूल्य आयोग के उन दो सुझावों पर भी विचार किया जायेगा? कृषि मूल्य आयोग का पहला सुझाव तो यह है कि चूँकि खाद्य निगम का खर्चा और उसका सामांश बहुत ज्यादा है, साधारण व्यापारियों की तुलना में इसलिए वह कम होना चाहिए और जससे जो बचत हो उसका लाभ मूल्य बढ़ाकर किसानों को और साथ ही कन्ज्यूमर्स को भी दिया जाये। कृषि मूल्य आयोग ने दूसरी बात यह कही है कि बिचोलियों को समाप्त कर दिया जाये और सीधे उत्पादकों से ही खरीद-दारी की जाये। पिछले साल आपकी नोटिस में आया होगा कि व्यापारियों ने दोनों हाथों से किसानों को लूटा था। चूँकि तौन तरह के मूल्य निर्धारित किए गए थे इसलिए व्यापारियों ने किसानों से यह कहा कि तुम्हारा माल बटिया है और कम मूल्य पर ही किसानों से खरीदा और फिर बाद में उसी माल को ऊँची कीमत पर सरकार को बेचा। इसके अतिरिक्त व्यापारियों ने किसान के माल पर 5 परसेन्ट का करदा भी काटा यानी उनसे 100 किलो गेहूँ लेकर 95 किलो के ही दाम दिये। तो क्या आप यहां पर इन दोनों सुझावों पर विचार करेंगे?

इसके अतिरिक्त क्या आप इस बात पर भी विचार करेंगे कि कृषि मूल्य आयोग में तथा फूड कारपोरेशन में किसानों का भी उचित प्रतिनिधित्व रहे ताकि उनकी आवाज भी वहां पर पहुंच सके? मैं आशा करता हूँ कि आप मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में कृषि मूल्य आयोग की इन सिफारिशों पर विचार करेंगे।

SHRI ANNASAHIB SHINDE : The hon. Member has raised a number of points by way of putting a question. It has been our approach, and I will repeat it, that farmers should receive remunerative prices. That is our general approach. The recommendation of the Agricultural Prices Commission is not the final word on this. There seems to be an impression that is the final word. As I have mentioned in my main statement, it is going to be discussed in the Chief Minister's Conference. We will naturally take into consideration the views of the Chief Ministers. Based upon that the Government of India would formulate the policy. As far as various other points raised in the report are concerned, we have circulated the report to Chief Ministers. All the points raised by the Agricultural Prices Commission in its report would be discussed in the Conference.

SHRI RANGA (Srikakulam) : The hon. Member's point was that the peasants should be given representation on the Food Corporation as well as the Price Commission.

श्री रघुबीर सिंह शास्त्री : मैंने यह कहा था कि किसानों को कृषि मूल्य आयोग और फूड कारपोरेशन में भी प्रतिनिधित्व दिया जाये।

SHRI ANNASAHIB SHINDE : As for as the Food Corporation is concerned there are representatives of various State Governments and other bodies on it. The representatives of farmers are already there on its Board. We have instituted a panel of advisers to advise the Agricultural Prices Commission. Almost all of them are farmers. Two Members of Parliament, one from the Ruling Party and one from the Opposition have also been included in the panel to advise the Agricultural Prices Commission.

श्री रणधीर सिंह (रोहतक): अध्यक्ष महोदय, किसी ने पूछा कि गेहूँ का रंग लाल क्यों है तो जवाब मिला कि किसानों का खून इस गेहूँ के अन्दर मिला हुआ है इसलिए इसका रंग लाल है। गेहूँ यूँ ही पंदा नहीं हो जाता। सारा कुनबा तड़पती लू में और जाड़े में दिन रात एक कर देता है। जब लगातार 6 महीने दिन रात मेहनत होती है तब कहीं गेहूँ पंदा होता है। उसकी जमीन को एक बार नहीं बल्कि सात बार प्लाऊ किया जाता है। मालूम ऐसा होता है कि यह कमीशन की जो रिपोर्ट है वह किसी मंडी के आइतीने लिख दी हो। इस कमीशन को पता नहीं कि प्रोडक्शन पर किानी कास्ट बँटती है लेकिन वे सिफारिश करेंगे कि कीमत में दस परसेन्ट की कटौती की जाये, यह भी सिफारिश करेंगे कि किमान घर में अनाज नहीं छोड़ने पायेगा बल्कि जबंदस्ती उसे मंडी में ले जाना होगा और मंडी में सेठ लोग उसके अनाज से मुनाफा कमायेंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा कमीशन जो कि बाबू जगजीवन राम जी की सरकार, सिडे साहब की सरकार और हम लोगों को बदनाम करता है, उसको क्यों बिठाया जाता है। मैं चाहूँगा कि ऐसे कमीशन में इस तरह के मेम्बर न रखे जायें जोकि एन्टी किसान हों। रघुवीर सिंह शास्त्री जी ने ठीक कहा, इस कमीशन के 80 फीसदी मेम्बरों में धर्मनारायण न हों, जो दूसरे मेम्बरान हैं वे न हों बल्कि वे 80 फीसदी मेम्बर किसान के प्रतिनिधि हों चाहिए जोकि किसानों से सीधा ताल्लुक रखते हों।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज खेती में जो इनपुट्स हैं उनकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं, चाहे वह फर्टिलाइजर हों, पम्पिंग सिस्टम हों, ट्रैक्टर हों या धावपाशी हों। आपको चाहिए कि किसानों को इन्सेन्टिव दें लेकिन आप तो कुल्हाड़ी चलाते हैं उन शरीर किसानों के ऊपर। यहां पर यह बात कही जाती है कि किसान बड़ा मालदार हो

गया है, उसके पास जायदादें खड़ी हो गई हैं लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि उसके लिए इन्सेन्टिव क्या है? उसको तो आपने मार दिया है। इन्सेन्टिवलिस्ट्स और समर्थितारों को आप जिस भाव पर बिजली देते हैं उससे तीन गुना भाव पर आप किसानों को बिजली दे रहे हैं।... (व्यवधान) ... यह चालीस करोड़ लोगों का सवाल है, बड़ी मुश्किल से मीका मिली है, थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, फिर आपको तंग नहीं करूँगा।

आज किसानों पर आपने न मालूम कितने टैक्स बांध दिये हैं। वह ड्रैन से पानी लगाये तो ड्रैनज टैक्स, ढकुली से पानी लगायेगा तो ढकुली टैक्स, तालाब से पानी लगायेगा तो रिजरवायर टैक्स, जमीन को खाली रखेगा तो नान-यूटिलाईजेशन टैक्स, जमीन को अच्छी बनायेगा तो बंटरमेंट टैक्स, गांव में रहेगा तो विलेज सैस, मकान बनायेगा तो हाऊस टैक्स, वह कोई और काम कर लेगा तो प्रोफेशन टैक्स, वह चौकीदार रखेगा तो चौकीदार टैक्स।... (व्यवधान).... मेरा कहने का मतलब यह है कि किसान को कोई इन्सेन्टिव देने के बजाय आप उसको मार रहे हैं। उसकी रेम्युनरेटिव प्राइस देने के बजाय आपने उस पर सिकड़ों किस्म के टैक्स लगा रखे हैं—बहु सारे टैक्स मेरे पास लिखे हुए हैं, लेकिन उनको पढ़ना नहीं चाहता हूँ। मैं समझता हूँ यह नारा बोगस है, कहां उसके लिए रेम्युनरेटिव प्राइस है और कौन से उसको इन्सेन्टिव हैं। क्या हाथी के दांत दिखाने के और, खाने के और? अब आप कहते हैं तो पूरा इन्सेन्टिव बीजिए।

अब मेरा एक सवाल यह है कि क्या आप किसान के लिए पैरिटी आफ प्राइस मुकर्रर करेंगे या नहीं? आज किसान की जो चीजें खरीदनी पड़ती हैं वह चाहे लोहा हो, सीमेंट हो या कपड़ा हो, वह दुगुने भाव पर मिलती हैं लेकिन जो उसकी पैदावार होती है उसकी पूरी कीमत भी उसको नहीं मिल पाती है। तों

[श्री रणधीर सिंह]

में जानना चाहता हूँ कि यह डिम्पैटि क्यो है ? क्या वह गरीब किसान इस देश का सिटिजन नहीं है ? इतना फर्क क्यों रखा गया है ? इसका जवाब आपको देना है ।

तीसरी बात में यह कहना चाहता हूँ कि आपने किसान के लिए बैरियर खड़े कर रखे हैं, उसका आपने घेराव कर रखा है । जैसे मजदूर सरकार का घेराव करते हैं उसी तरह से सरकार ने भी फूड जोस बनाकर किसानों का घेराव कर रखा है । इससे किसानों का बड़ा नुकसान होता है । मंडी में जब किसान की फसल घाती है तब तो जोस हटा दिए जाते हैं । आज गेहूँ का भाव 80 रु० क्वींटल तो यहाँ पर है और बंगलौर में 120 रु० क्वींटल है । वहाँ का गरीब मजदूर इस भाव पर कैसे खरीद पायेगा ? इसलिए आपने मूवमेंट के ऊपर जो रोक लगा रखी है उसको खत्म कीजिए । इसमें किसान का भी फायदा है और कंज्यूमर का भी फायदा है ।

चौथी बात में यह जानना चाहता हूँ कि आप किसान के अनाज की कोई कीमत मुकर्रर कीजिएगा या नहीं ? एकोनामिक प्राइस या एक्जुवल प्राइस तो मैं जानता नहीं कि कहां से कमीशन ले आई । मेरा कहना यह है कि किसान का जो खर्चा आता है, शुरू से लेकर आखीर तक, जुलाई से लेकर कटाई तक, उसकी बैसिम पर आप कास्ट मुकर्रर कीजिए । आप साइकिल, कार, हवाई जहाज, रेडियो पर तो मुनाफा देते हैं फिर किसान को अपनी पंदावार पर क्यों मुनाफा नहीं मिलता है । अभी कहा गया कि 15 सौ रुपये एक चीज के ऊपर एक आदमी को मिलता है, किसान को आप चार घाने ही मुनाफा दीजिए । और जब आप इन्सेंटिव का नाम लेते हैं तो फिर किसान की कास्ट निकाल करके उसको मुनाफा दीजिए । तो मैं यह पूछना चाहता हूँ कि आप इन बातों का ख्याल रखेंगे या नहीं ?

आखीर में मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह उचित बात होगी कि इस कमीशन को स्क्रेप किया जाए और आप यह फंसला करें कि प्लानिंग कमीशन में और एग्रीकल्चर प्राइसेज कमीशन में सारे किसान लिये जाएं । सवाल यह नहीं है कि कांग्रेस के ही आदमी हों, जो किसानों का हित चाहने वाले हों, उनको लिया जाए ।

SHRI ANNASAHIB SHINDE : It has always been our approach that the interests of the farmers should be properly safeguarded and I repeat that the farmers should receive incentive price, reasonable price. Regarding the agricultural development which has come up and the impetus it has received, the Government of India and my Ministry have played a significant role during the last few years and that is why there is enthusiasm all over the country, so far as agricultural production programmes are concerned. So far as the removal of zonal restriction is concerned, it is too general a question. But I would like to submit that during the last year or so we have been moving in the direction of making some relaxation and this is one of the points which would be taken into consideration by the Chief Minister's Conference.

श्री रणधीर सिंह : जवाब किसी बात का नहीं दिया । कास्ट आफ प्रोडक्शन में क्या कर रहे हैं, यह नहीं बताया । किसी बात का जवाब नहीं दिया और स्पीकर साहब आपने हाँ में हाँ मिला दी । कास्ट आफ प्रोडक्शन डिटरमिन करेगे या नहीं और पॅरिटी आफ प्राइसेज होगी या नहीं, इसका जवाब नहीं दिया । मैंने छः सवाल किये थे । उनमें से एक का जवाब दिया और बाकी पांच का नहीं दिया ।

SHRI ANNASAHIB SHINDE : May I add that we may not agree with the findings of the Agricultural Prices Commission and, as I said, that it is not the final word, but we must not be so unkind to our economists who are working in the Agricultural Prices Commission ? We may differ from their view; but that is a different matter. The members of the Agricultural Prices

Commissioners are economists and experts and we have to give some weight to their views.

श्री रणधीर सिंह : किसान इससे सम्बन्धित हैं। एग्जिक्यूटिव कमिशन में किसान तो होने चाहिए, यह तो आप इनमें कइलवाइए ?

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि उसकी नीति अभी तक इस प्रकार की रही है जो भी जिस चीज का उत्पादन करता है, उसके मूल्य निर्धारण में उसकी राय की कुछ कीमत होती है। उदाहरण के लिए सीमेंट है, लोहा है, कपड़ा है, जो भी चीज पंदा होती है तो मिल मालिक यह देख लेता है कि इतना रा.मैट्रियल उसका लगा है, इतनी मजदूरी उसकी लगी है, इतना सरकार का टैक्स है, इतना उसका मुनाफा है, तब उसके आधार पर अपनी कीमत तय करके बाजार में वह अपना उत्पादन भेजता है। लेकिन इस देश में एक अभाग्य किमान ही इस प्रकार का है कि जिसकी कितनी कीमत लगती है, उसका परिश्रम कितना हुआ है, उसका सिचाई में कितना पैसा खर्च हुआ है, खाद में कितना हुआ है, इन तमाम चीजों की परवाह किये बिना सरकार ने जो इस प्रकार के कमिशन बनाए हुए हैं वे अपने आप उसके उत्पादन का मूल्य निर्धारित कर देते हैं। उदाहरण के लिए अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि पिछले अधिवेशन में श्री जगजीवन राम जी ने गन्ने के मूल्य के सम्बन्ध में यह घोषणा की थी कि गन्ने का मूल्य कम से कम 10 रुपये किसान को मिलना चाहिए।

अभी इसी अधिवेशन में मेरे एक अल्पकालिक प्रश्न के उत्तर में आपके कार्यालय द्वारा जो स्पष्टीकरण खाद्य मन्त्रालय का मुझे मिला, उसमें स्पष्ट लिखा है कि मन्त्री महोदय के आश्वासन का मिलों के ऊपर किसी प्रकार का कोई बन्धन नहीं समझा जाएगा और उसके बाद यह भी लिखा है कि सरकार का इरादा इस उद्योग को नष्ट करने का नहीं है। यदि

चीनी कारखानों को भारी हानि हुई तो उम स्थिति में चीनी उद्योग को बचाने के लिए कोई तरीका निकाला जाएगा। चीनी उद्योग को बचाने के लिए तो कोई तरीका निकाला जाएगा कि चीनी उद्योग में हानि न हो। लेकिन किमान जिसकी इतनी लागत लगनी है उसको हानि से बचाने के लिए सरकार ने किसी प्रकार का कोई तरीका सोचा है ?

मेक्सीकन व्हीट की खेती, अध्यक्ष महोदय, आपने आम्न्र में देखा होगा, ईख की तरह करनी पड़ती है और उसको छः छः पानी देने पड़ते हैं। एक एकड़ में तीन सौ रुपये का खाद देना पड़ता है, सिचाई का व्यय अलग और मजदूरी का अलग। तो क्या यह कृषि मूल्य आयोग जो यहां बैठकर ठंडे कमरों में मूल्य निर्धारित करता है, इन सब चीजों को ध्यान में रखता है। एक तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस समय जो कृषि मूल्य आयोग आपका है, आप कृपा करके उनके नाम पढ़कर सुनाइए जोकि इसके सदस्य हैं ताकि हम यह जानें कि उनको कृषि के सम्बन्ध में कोई जानकारी है या नहीं ?

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूँ कि उसमें कृषकों के प्रतिनिधि लिये जाएंगे या नहीं लिये जाएंगे। इस सम्बन्ध में निश्चित जानकारी आप हमें दीजिए। इसके अलावा मैं यह भी चाहूंगा कि कृषि मूल्यों की इस प्रकार से घोषणा करने से पहले, किसानों का उत्पादन व्यय उस सम्बन्ध में क्या था, यह भी पहले से निश्चय कर लिया जाएगा। इस बार जैसा उत्तर प्रदेश में हुआ और सारे हिन्दुस्तान में भी कि वर्षान होने से किसानों को कितनी सिचाई करनी पड़ी, इसको जाने बिना यहां पर बैठकर अपने मूल्य निर्धारित कर दिया। उसकी कितनी लागत लगी देखने के बाद मूल्य निर्धारित करें, इस सम्बन्ध में स्पष्ट नीति की घोषणा आप करें।

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

दोसरी बात जो अन्तिम, मैं पूछना चाहता हूँ वह यह है कि चाहे वे राष्ट्रपति डा० राधा-कृष्णन हों या राष्ट्रपति डा० जाकिर हुसैन हों, जब भी संसद का उदघाटन होता है तो एक तिथी निर्धारित कर देते हैं कि उसके बाद से बाहर से गेहूँ नहीं मगाएँगे, उसके बाद से ख़ाद्यान्न निर्यात नहीं करेंगे। किसानों का जो सही परिश्रम है और किसानों के परिश्रम का सही मूल्यांकन आप करें तो आप स्पष्ट शब्दों में यह घोषित भी करें कि भारत को इस स्थिति में आप कब ले आएँगे जिसमें कि अन्न का आयात न करना पड़े ?

SHRI ANNASAHIB SHINDE : The hon. Member has also asked for the names of the Members of the Agricultural Prices Commission. They are, Dr. Ashok Mitra, Dharam Narain and Shri S. C. Choudhri.

SHRI BAL RAJ MADHOK (South Delhi): Not a single of them is a farmer.

SHRI ANNASAHIB SHINDE : They are economists.

SHRI BAL RAJ MADHOK : None of them knows anything about agriculture.

SHRI ANNASAHIB SHINDE : As I have already mentioned on the floor of the House, there is a panel of agriculturists to advise the Agricultural Prices Commission... (Interruption) Practically, all the States are included in the panel, including two Members of Parliament. As far as the hon. Member's view point is concerned, whether farmers' interests should be protected or not, I entirely share his view-point. The farmers' interest is equally dear to us. Naturally, when the Agricultural Prices Commission, all such expert bodies, go into the problem, they are expected to take into consideration all the factors, including productivity, cost of production, etc. I would not like to go--this is mainly regarding procurement prices--into the wider issue. But I would again submit that the prices which the farmers are receiving and with

the marketing arrangements which were made, initiated, by the Government of India, the farmers' interest is protected by and large in large parts of the country....

SOME HON. MEMBERS : No.

SHRI ANNASAHIB SHINDE : ...and that is why there is so much enthusiasm all over the country in regard to high-yielding variety programme, use of fertilisers and use of new technology.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मेरे मुख्य रूप से दो प्रश्न थे जिनको मन्त्री महोदय जानबूझ कर टाल रहे हैं। शिन्डे साहब स्वयं एक सफल किसान हैं। मेरा कहना यह है कि बजाए इसके कि आप परामर्शदाता या एडवाइजर्स के रूप में किसानों को रखें, कृषि मूल्य आयोग में ही किसानों के प्रतिनिधियों को रखने में आपको क्या आपत्ति है। एक प्रश्न तो मेरा यह था और दूसरा प्रश्न मैंने यह पूछा था कि कब तक आप इस स्थिति में होंगे कि बाहर से आपको अन्न आयात न करने पड़े। इन प्रश्नों का उत्तर आप स्पष्ट भाषा में दीजिए ?

SHRI ANNASAHIB SHINDE : We appreciate the sentiments of the hon. Members in regard to whether farmers should not be represented in the Agricultural Prices Commission. But there can be a view point that the Agricultural Prices Commission should not be allowed to develop into a pressure group. There can be a view point as to why consumers representatives should not be there, why other interests should not be there and all that. I am not saying that the arguments which are advanced are wrong. I am not trying to express my opinion in regard to them. There are different points of view. Naturally, at the moment, the Government has taken a view that the panel of agriculturists is there to advise the Agricultural Prices Commission and it should serve the purpose for the time being.

श्री मधु लिखय (मुंभेर) : अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय को इस बात का

पंता है कि सरकार की जो साधारण नीति होती है, उम का अमर कृषि दाम कमीशन की नीति पर भी पड़ता है। जब स्वयं आपने गन्ने का दाम 15 रुपये कुन्टल से घटाकर 9, 10 रुपये तक कर दिया तो यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि उस का असर दाम कमीशन की नीति पर भी पड़ेगा। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या दाम कमीशन के लिए आगे कोई निर्देश जारी किये हैं। मैं सिद्धान्तों की बात कर रहा हूँ। एक तो दामों के संतुलन का सिद्धान्त होता है और दूसरा यह हो सकता है कि जो खर्चा है या लागत है उसमें न्यूनतम आमदनी मिलाकर दाम निश्चित करना न्यूनतम कितना है। इन दो सिद्धान्तों में से किसी न किसी सिद्धान्त के आधार पर आपको दाम निर्धारित करने चाहिए। क्या इस तरह का कोई स्पष्ट और साफ निर्देश आपने कमीशन को दिया है ?

क्या इस तरीके का कोई स्पष्ट और साफ निर्देश आपने कमीशन को दिया है और यदि नहीं दिया है तो क्या भविष्य में आप इस पर सोचेंगे ? आप ने कहा कि कमीशन के जो सदस्य हैं वह बड़े बड़े अर्थ शास्त्री और पंडित हैं लेकिन ऊँची मीनार पर रह कर और दुनिया से अलग रह कर वह सारी चीजों का विचार करते हैं। साथ ही मैं आप का ध्यान दूसरी एक बात की ओर भी दिलाना चाहता हूँ कि पिछले दो वर्षों में आप के द्वारा जो दाम निर्धारित किये गये उन दामों पर अनाज खरीदने की जो आप की जिम्मेदारी है वह जिम्मेदारी सरकार ने और फुड कारपोरेशन ने नहीं निमाई इसलिए पंजाब, हरियाणा या दूसरे इलाके के किसानों को काफी घाटा हुआ है तो क्या इस बात की ओर भी आप का ध्यान गया है ? मेरी बात का स्पष्ट जवाब दीजिये कि क्या कोई निर्देश आप ने दिया है या भविष्य में आप कोई निर्देश दें ?

THE MINISTER OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI JAGJIWAN RAM):

The Agricultural Prices Commission has generally to take into consideration roughly the cost of production and give a reasonable return to the farmer. That is an obvious thing. It is not very easy to calculate the cost of production so far as agricultural sector is concerned. Therefore, I have said that roughly they have to take into consideration the cost of production...

SHRI RANGA : An honest effort should be made.

SHRI JAGJIWAN RAM : I have myself been emphasizing that, as far as possible, roughly the cost of production should be taken into consideration in determining the price. That is one thing. Apart from that, there is the Agricultural Prices Commission; that is an expert body consisting of independent persons and they give the recommendations...

AN HON. MEMBER : Independent ?

SHRI JAGJIWAN RAM : Yes; they are independent; they have no interests to serve...

SHRI RANGA : You should study their mind.

SHRI JAGJIWAN RAM : After all, the recommendations of the Agricultural Prices Commission are just recommendations. We give due weight to these recommendations, but the final decision is of the Government in the light of the discussion at the Chief Ministers' Conference...

SHRI RANJIT SINGH (Khalilabad) : And the discussion here.

SHRI JAGJIWAN RAM : Of course, we have to give weight to the opinions expressed by the members here. In the light of these discussions, we take decisions and, as members are aware, even last year we did not accept *in toto* the recommendations of the Agricultural Prices Commission.

SHRI JYOTIRMOY BASU (Diamond Harbour) : What about deficit States ? Are you taking their opinion also ? Also what about consumers ? (Interruption)

SHRI JAGJIWAN RAM : Of course, the interests of the consumers also have to be taken into consideration while fixing the prices of agricultural commodities. I must say that, Government has to consider the interests of producers and consumers in determining prices.

So far as the purchase is concerned, efforts have been made to see that, whatever price we determine is made available to the farmers and there can be no denying the fact that in Punjab, due to the fine marketing system that they have, the Punjab farmers received the procurement price that was fixed. So far as Haryana is concerned, in Haryana the Food Corporation did not procure. It was the State Government's function and I will not presume that the State Government has not taken into consideration the interests of the farmers, that they would not see to the interests of the farmers...

श्री मधु लिमये : असलियत क्या है वह बतलाइये न ?

श्री जगजीवन राम : असलियत ही मैं ने बतलाई है ।

Except in the initial stages, the farmer did receive the procurement price. In U. P. the difficulty came in two or three districts where some sort of a disease developed and where the marketing organisation has not developed as yet. There was some difficulty in the initial stages and we had to determine what the reduction will be due to the disease. I will not say that in U. P. it was as good as in Punjab. From Punjab there was no complaint; the farmers were satisfied.

श्री शिवकुमार शास्त्री (अलीगढ़) : एक तो मैं खाद्य मन्त्री जी को जोकि मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में इन मूल्यों पर विचार करेंगे उस के लिए उन्हें सावधान करना चाहता हूँ कि अभी पिछले दिनों बुलन्दशहर में भाषण देते हुए उन्होंने यह कहा था कि उत्तर प्रदेश में जो पिछले दिनों गन्ने का मूल्य अधिक किसानों को मिला उसका श्रेय हम को है । अगर हम नहीं

चाहते तो वह अधिक नहीं हो सकता था । मेरा कहना है कि इस सम्मेलन में मुख्य मन्त्रियों के ऊपर ही मूल्य के निर्णय को न छोड़ दिया जाय क्योंकि अगर वह मूल्य कम हुआ तो उस का अपयश भी आप के ऊपर ही डाल जायगा ।

इस के साथ साथ मैं एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ कि कई प्रकार की क्वालिटी का गेहूँ किसानों के यहाँ उत्पन्न होता है और वह बिकने के लिए बाज़ार में आता है उन से खरीद करते समय उन को इस भ्रमेले में डाल दिया जाता है और जो बढ़िया क्वालिटी का गेहूँ होता है उस को दूसरे या तीसरे नम्बर का बता कर 5-5 और 6-6 रुपये क्विंटल कम पर खरीदा जाता है और इस प्रकार से किसानों को बहका कर उनको कम मूल्य दिया जाता है तो इस भ्रमेले में से वह निकल सकें क्या इस प्रकार की सहायता के लिए भी आप कोई उपाय सोचेंगे ?

SHRI ANNASAHIB SHINDE : It has been adequately explained that the views of the Chief Ministers will receive adequate attention. Ultimately, it is the decision of the Government of India with regard to prices.

Regarding the second part of the hon. Member's question, if marketing laws are adequate, naturally the farmers' interests are protected. But we find that in certain areas and certain States existing marketing laws are not adequate to protect the interests of the farmers. We have advised the Food Corporation that they should purchase from the farmers as far as possible so that the farmers' interests are protected.

12. 57 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Bokaro Steel Ltd. and Hindustan Steel Works Construction Ltd. Govt. Reviews and Annual Reports

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF STEEL AND HEAVY